

Summary of Endorsement

This document was presented for registration on this Monday, the 23rd of January 2012 by Suman Lal.

A stamp duty of Rs. 500/- and other fees of Rs. 500/- has been paid in it.

The document was found admissible. The names, photographs and fingerprints and signatures of the executants, and their identifier, who have admitted execution before me, are affixed on the reverse page.

The document has been registered as deed no. 42 in Book No. 4, Volume No. 8 on pages from 461 to 468 and has been preserved in total 8 pages in C.D. No. 1 / Year 2012.

BCANNER

विनायक

राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र, बिहार

Signature with date

(Ashok Kumar Thakur)

Registering Officer, Patna

Date : 23/01/2012

Token No. : 1786 / 2012

171-1786/2012
2012


GENERAL POWER OF ATTORNEY

(सामान्य प्रतिनिधि-पत्र)

1. लेख्यकारिणी का नाम एवं पुरा पता :-

श्रीमती सुमन लाल (SMT. SUMAN LAL), पति का नाम श्री अजय लाल वो पिता का नाम स्वर्गीय सुशील कुमार लाल, निवासी - देवी गैस गोदाम के नजदीक, हेसल, पत्रालय - हेहल, थाना - सुखदेव नगर, शहर वो जिला - राँची (झारखण्ड), पिन कोड - 834 005, वर्तमान निवासी - 101, बिरेन्द्र रेसीडेन्सी, रोड नं 12, राजेन्द्र नगर, शहर वो जिला - पटना (बिहार), पिन कोड - 800016, भारतीय नागरिक, जिसे आगे "लेख्यकारिणी" कहा गया

Suman Lal.
23.1.2012



राक ल मकर
23/01/12

For Raunak Vatika Pvt. Ltd.

R.K. Chaudh
Director

23

Registered by
R.K. Chaudh

2. लेख्यधारिणी का नाम एवं पूरा पता :-

श्रीमती अंजु वर्मा (SMT. ANJU VERMA), पति का नाम श्री राजय कुमार वर्मा वो पिता का नाम स्वर्गीय उमा बिहारी लाल, निवासी - 101, बिरेन्द्र रेसीडेन्सी, रोड नं0 12, राजेन्द्र नगर, शहर वो जिला - पटना (बिहार), पिन कोड - 800 016, भारतीय नागरिक, जिसे आगे "लेख्यधारिणी" कहा गया है।

3. लेख्य प्रकार :-

सामान्य प्रतिनिधि-पत्र (मुख्तारनामा) / General Power of Attorney.

4. सम्पत्ति का पूर्ण विवरण :-

क्षेत्रफल 851 (अठ सौ एकावन) वर्गफीट कुल 32 डिसमिल (बत्तीस डिसमिल) में से परती हकरैयती कायमी नकदी भूमि अवस्थित मौजा - जमसौत, परगना - फुलवारी शरीफ, थाना - दानापुर, अवर निबंधन कार्यालय - दानापुर, जिला निबंधन कार्यालय वो जिला - पटना (बिहार)। जिसका थाना संख्या - 30 (तीस), कैडेस्ट्रल सर्वे प्लॉट संख्या - 2094 (दो हजार चौरानवे), खाता सं0 - 180 (एक सौ अस्सी), तौजी - 5456 (पाँच हजार चार सौ छप्पन), वो सम्पत्ति का सालाना लगान बजमिन्दारी बिहार सरकार बजरिये अंचलाधिकारी कार्यालय, दानापुर को देय है वो सम्पत्ति जो पटना क्षेत्रीय विकास प्राधिकार (विघटित के अन्दर है, जिसका कुल 32 डिसमिल (बत्तीस डिसमिल) को चौहदी निम्नलिखित है :-

-- : चौहदी : --

उत्तर :- श्री गिरधारी सिंह सर्वे खसरा संख्या - 2113.
दक्षिण :- श्री बंगाली राय सर्वे खसरा संख्या - 2092
वो 2093.
पूरब :- श्री बंगाली राय सर्वे खसरा संख्या - 2095.
पश्चिम :- आहर / सहायक रास्ता।

नोट :- न्यूनतम दर पर्जी के क्रम संख्या - 151 पर अंकित है।



For Raunak Vatika Pvt. Ltd.

R.K. Chaudhary
Director

Subrah Lal.

23.1.2012

Witness -

AJP (AJAY LAL)

23.01.2012

S/o - lals Uma Bihari Lal
Hesal, P.O. Hesal, Near Dui Gas Godown

:- : सन्दर्भ :-

हकियत यह है कि लेख्यकारिणी श्रीमती सुमन लाल, पति का नाम श्री अजय लाल वो पिता का नाम स्वर्गीय सुशील कुमार लाल ने खाने संख्या-4 में वर्णित सम्पत्ति को अपनी खास वो निजी स्त्रीधन से दिनांक - 23.01.2012 को निबंधित बिक्रय-पत्र टोकन संख्या- 1888/2012, सिरीयल नं0-1876/2012 जिला निबंधन कार्यालय, पटना के द्वारा शिबली नोमानी, पिता का नाम स्वर्गीय अब्दुल सत्तार, निवास स्थान - सब्जीबाग, पत्रालय - बाँकीपुर, थाना - पीरबहोर, शहर वो जिला - पटना (बिहार), भारतीय नागरिक, बहैसियत मोखतारेआम मिनजानिव श्री राम कृष्ण दास, पिता का नाम स्वर्गीय मथुरा दास, श्री दीपक कुमार दास, पिता का नाम स्वर्गीय राम मनोहर दास वो दादा का नाम स्वर्गीय मथुरा दास वो श्री राम कुमार दास, पिता का नाम स्वर्गीय मथुरा दास, सभी का निवास स्थान - नरगददा, थाना - शाहपुर, जिला - पटना (बिहार), भारतीय नागरिक, जिसका निबंधित पावर ऑफ अटर्नी सं0-3489, पुस्तक सं0-4, जिल्द सं0-45, पृष्ठ सं0-506 से 513 तक तथा सी0 डी0 07/सन् 2011, टोकन सं0-22778/2011, दिनांक-11-07-2011 निबंधन कार्यालय, पटना से निबंधित है, बगैरह से खरीद की हैं तथा खरीदारी के समय से लेख्यकारिणी उपरोक्त खरीदगी सम्पत्ति पर शान्ति पूर्वक निर्विवाद रूप से भू-स्वामिणी की हैसियत से काविज्ज दखिल वो मालिक मुस्तकिल रहती हुई, सम्पत्ति के उत्पतित आय का उपभोग वो उपयोग में लाती हुई चली आ रही हैं।

यह कि खाने संख्या-4 में वर्णित सम्पत्ति सभी प्रकार क विघ्न, प्रतिबंध, भार एवं बाधा आदि से पूर्णतया मुक्त एव साफ है यह किसी भी प्रकार से न तो विवादित और न ही सरकार द्वारा अर्जित ही है। यह पूर्ण रूप से निर्विवाद है।

यह कि लेख्यकारिणी अपनी निजी वो जरूरी कार्यों में हमेशा व्यस्त रहा करती है, इसलिए लेख्यकारिणी खाने संख्या-4 में वर्णित सम्पत्ति को सही ढंग से देख-रेख करने, समुचित सुरक्षा-व्यवस्था तथा सुरक्षित रखने, बिक्री करने हेतु पुरी तरह से असमर्थ हैं इसलिए लेख्यकारिणी ने निर्णय लिया कि खाने संख्या-4 में वर्णित सम्पत्ति को देख-रेख इत्यादि करने हेतु किसी को प्रतिनिधि (मुख्तार) नियुक्त करें। इसी उद्देश्य को पूरा करने के लिए लेख्यकारिणी आम्बीमानसिक वो शारीरिक स्वस्थ-अवस्था में रहकर



For Raunak Vatika

R.K. Chaudh
Director

Withdrew by

For Dr. Rajendra Singh

23/01/2012

Dr. Sun. Shyam Narayan

301, Archana App. Bldg. J.P. Chowk

Patna

Dr. Sun. Shyam Narayan

301, Archana App. Bldg. J.P. Chowk


Patna

Submanoj Singh

23-1-12

बिना किसी बाहरी अनुचित दबाव को अपनी तथा अपने परिवार के हानि-लाभ को पूर्ण ज्ञान सहित भली-भाँति समझ को बुझकर तथा हितैषियों एवं कानूनी सलाहकारों से परामर्श लेकर इस प्रतिनिधि-पत्र (मुख्तारनामा) के माध्यम से लेख्यधारिणी श्रीमती अंजु वर्मा को अपना सच्चा वो विश्वासी प्रतिनिधि (मुख्तार) नियुक्त करती हैं और लेख्यधारिणी श्रीमती अंजु वर्मा को इस प्रतिनिधि-पत्र (मुख्तारनामा) के माध्यम से निम्नलिखित अधिकार देती है कि:-

1. यह कि खाने संख्या-4 में वर्णित सम्पत्ति के निश्चत लेख्यधारिणी आवश्यकतानुसार लेख्यकारिणी के बदले सरकारी कार्यालय, अर्धसरकारी कार्यालय, निजी / गैरसरकारी कार्यालय व नगरपालिका / नगर परिषद कार्यालय या अन्य कार्यालयों में जहाँ जहाँ जिस प्रकार से जरूरत पड़े आवेदन-पत्र देना, नक्सा पर हस्ताक्षर करना या हरेक प्रकार की कार्यवाही करेंगी।
2. यह कि खाने संख्या-4 में वर्णित सम्पत्ति के विवाद वि परिस्थिति में लेख्यधारिणी आवश्यकतानुसार पैरवी करेंगी, लेख्यकारिणी के बदले जहाँ लेख्यकारिणी वादी या प्रतिवादी के रूप में हो अधिवक्ता इत्यादि की नियुक्ति करना या हटाना लेख्यकारिणी की ओर से करेंगी और वकालतनामा, किसी भी प्रकार का आवेदन, ब्यान तहरीर, कारण पृच्छा, प्रार्थना-पत्र, समझौता याचिका इत्यादि पर हस्ताक्षर कर सम्बन्धित न्यायालय / कार्यालय में दाखिल कर निष्पादित करेंगी वो स्वयं उपस्थित होकर पैरवी करेंगी।
3. यह कि लेख्यधारिणी / प्रतिनिधि लेख्यकारिणी के बदले खाने संख्या-4 में वर्णित सम्पत्ति को बिक्री करने या किसी तरह का हस्तानांतरण करने या किसी भी प्रकार के विलेखों या वसीकाओं हेतु अगर अनुमति लेने की जरूरत पड़े तब सम्बन्धित कार्यालय / न्यायालय से अपना हस्ताक्षर कर अनुमति लेने हेतु सभी औपचारिकताओं को पुरा कर अनुमति ले लेगी।
4. यह कि खाने संख्या-4 में वर्णित सम्पत्ति के निश्चत लेख्यधारिणी / प्रतिनिधि एकरारनामा, विकास कार्य एकरारनामा, किरायानामा, पट्टा, उप पट्टा, विनिभय-पत्र, बिक्रय-मनोबन्ध-पत्र, बन्धक-पत्र, बिक्रय-पत्र, शुद्धि-पत्र, किसी तरह का हस्तानांतरण-पत्र या किसी भी प्रकार के विलेखों या वसीकाओं को एक साथ या खण्ड-खण्ड कर दस्तावेज तैयार कराकर उपर



For Raunak Vatika Pvt. Ltd.

R. K. Chaudhary

Director


Subscribed
23.1.12

अपना हस्ताक्षर / उँगलीयों का निशान बना कर निष्पादित करेंगी तथा दस्तावेज के निबंधनार्थ सम्बन्धित निबन्धन कार्यालय में दस्तावेज प्रस्तुत करेंगी तथा सम्बन्धित निबन्धक के समक्ष स्वयं उपस्थित होकर एकरार स्वीकार करेंगी वो निबन्धन की सभी प्रक्रियाओं / औपचारिकताओं को पूरा करेंगी ताकि लेख्यधारिणी / प्रतिनिधि के द्वारा वसीका के निष्पादन वो निबन्धन कर देने के पश्चात् प्रस्तावित क्रेता / अन्य को उक्त सम्पत्ति पर स्वत्व अधिकार प्राप्त हो जैसा कि लेख्यकारिणी सम्बन्धित निबन्धन कार्यालय में स्वयं उपस्थित होकर वो रहकर करती।

5. यह कि लेख्यधारिणी निबन्धन से प्राप्त रसीद (चिरकूट) पर हस्ताक्षर कर मूल दस्तावेज सम्बन्धित निबन्धन कार्यालय से प्राप्त कर लेंगे।

6. यह कि खाने संख्या-4 में वर्णित सम्पत्ति के निश्वत लेख्यधारिणी / प्रतिनिधि के द्वारा बिक्रय-पत्र, किसी तरह का हस्तानांतरण-पत्र या किसी भी प्रकार के विलेखों या वसीकाओं के निष्पादन वो निबन्धन के पश्चात् प्रस्तावित क्रेता को अपना नाम लेख्यकारिणी के नाम के स्थान पर किसी भी कार्यालय / नगरपालिका में दर्ज कराने हेतु अगर लेख्यकारिणी की हस्ताक्षर / उँगलीयों का निशान की जरूरत पड़े तब सम्बन्धित दस्तावेजों पर लेख्यधारिणी / प्रतिनिधि लेख्यकारिणी के बदले हस्ताक्षर / उँगलीयों का निशान बनायेगी तथा सभी औपचारिकताओं को पूरा करेंगी।

7. यह कि लेख्यधारिणी / प्रतिनिधि द्वारा लेख्यकारिणी के प्रतिनिधि के रूप में किये गए सभी कार्य एवं धंधे लेख्यकारिणी द्वारा किया गया कार्य एवं धंधे समझे जाएंगे जैसे कि लेख्यकारिणी स्वयं उपस्थित होकर की हो।



For Raunak Vatika
R. C. Chaudhary
Director

Submahal
23.1.12

9. यह कि लेख्यकारिणी इस प्रतिनिधि-पत्र (मुख्तारनामा) के बदले लेख्यधारिणी / प्रतिनिधि से किसी तरह का प्रतिफल प्राप्त नहीं की है याचि लेख्यकारिणी एवं लेख्यधारिणी / प्रतिनिधि के बीच किसी प्रकार का लेन-देन नहीं किया गया है और लेख्यधारिणी खाने संख्या-4 में वर्णित सम्पत्ति पर किसी तरह का निर्माण या विकास कार्य नहीं करेंगी।


इस वास्ते यह वसीका सामान्य प्रतिनिधि-पत्र (मुख्तारनामा) लेख्यकारिणी अपनी मानसिक व शारीरिक स्वस्थ-अवस्था में रहकर बिना किसी बाहरी अनुचित दबाव व धमकाव के अपनी तथा अपनी परिवार के हानि-लाभ को पूर्ण ज्ञान सहित भली-भाँति समझ व बुझकर तथा हितैषियों एवं कानूनी सलाहकारों से परामर्श लेकर बनाम वो वहक लेख्यधारिणी श्रीमती अंजु वर्मा के नाम से स्वतंत्र गवाहान के समक्ष लिख दिया कि समय पर काम आवे वो प्रमाण रहे।

दिनांक :- 23 वी0 जनवरी, सन् - 2012 ई0।

-Anju Verma
23/1/12
(श्रीमती अंजु वर्मा)

लेख्यधारिणी का हस्ताक्षर

टंकणकर्त्ता-





प्रारूपकर्त्ता-



सुबोध कुमार (अधिवक्ता)

एम.एस.सी., एल.एल.बी.

For Raunak Vatika Pvt. Ltd.

R.K. Chaudhary
Director

Subodh Kumar
23.1.2012

Endorsement of Certificate of Admissibility

Admissible under Rule 5 : duly stamped (or exempted from or does not require stamp duty) under the Indian Stamp Act, 1899, Schedule I or I-A, No. 48. Also admissible under section 26(a) of the B. T. Act.

| | | | | | | | | |
|-------------------------------------------|------------------|-------|----------------------------------|----------------|--------|-------------|---|-----|
| Stamp duty paid under Indian Stamp Act | Rs. | 500 | Amt. paid by N.J. Stamp Paper - | Rs. 0 | | | | |
| Addl. Stamp duty paid under Municipal Act | Rs. | | Amt. paid through Bank Challan - | Rs. 1004 | | | | |
| | Registration Fee | | LLR + Process Fee | Service Charge | | | | |
| FEE PAID | A1 | 0 C | 0 H1b | 0 Ka1 | 0 Lii | 0 LLR | 0 | |
| | A8 | 0 D | 0 H2 | 0 K1b | 0 Liii | 0 Proc. Fee | 0 | 200 |
| | A9 | 0 DD | 0 I | 0 K1c | 0 Mb | 0 Total- | 0 | |
| | A10 | 0 E | 250 J1 | 0 K2 | 0 Na | 54 | | |
| | B | 0 H1a | 0 J2 | 0 Li | 0 | | | |
| | | | | TOTAL- | | 304 | | |
| | | | | | | 504 | | |

Total amount paid (Reg. fee+LLR, Proc+Service Charge) in Rs. 504

Date : 23/01/2012

Registering Officer
Patna

Endorsement under section 52

Presented for registration at Registration Office Patna on Monday, 23rd January 2012 by Suman Lal W/O Sri Ajay Lal by profession House Wife. Status Principal

Suman Lal
Signature / L.T.I. of Presentant
23.1.12



Date: 23/01/2012

Registering Officer
Patna

Endorsement under section 58

Execution is admitted by those executants and identified by the person (identified by Ajay Lal age... Sex M son/daughter of Late Uma Bihari Lal resident of Hesal, Near Gas Godown, Ranchi.) whose names, photographs, fingerprints and signatures are affixed as such on back page / pages of the instrument.

Date : 23/01/2012

Registering Officer
Patna

Endorsement of Certificate of Registration under section 60

Registered at Registration Office Patna in Book No. 4 Volume No. 6 on page no. 461 - 468 for the year 2012 and stored in CD Volume No. CD-1 year 2012. The document no. is printed on the front Page of the document.

Date: 23/01/2012



Registering Officer
Patna

Token No. 1786 For Raunak Vatika Year - 2012 Sl.No. 189★ SCORE Ver. 2.1 Deed No. 421 NIC-Bihar

R.C. Chaudhary
Director

G.M.P
W/O of

Summary of Endorsement

This document was presented for registration on this Wednesday, the 1st of February 2012 by Ramesh Kumar.

A stamp duty of Rs. 500/- and other fees of Rs. 504/- has been paid in it.

The document was found admissible. The names, photographs and fingerprints and signatures of the executants, and their identifier, who have admitted execution before me, are affixed on the reverse page.

The document has been registered as deed no. 579 in Book No. 4, Volume No. 8 on pages from 549 to 556 and has been preserved in total 8 pages in C.D. No. 2 / Year 2012.

Signature with date

(Ashok Kumar Thakur)

Registering Officer, Patna

Date : 01/02/2012

Token No. 2863/2012

SCANNED

GENERAL POWER OF ATTORNEY

(सामान्य प्रतिनिधि-पत्र)

1. लेख्यकारी का नाम एवं पुरा पता :-

श्री रमेश कुमार (MR. RAMESH KUMAR), पिता का नाम स्वर्गीय डा० भृगुनाथ प्रसाद, C/O श्री कन्हैया प्रसाद, निवासी - क्षीर सागर के सामने, ठठेरी बाजार, पत्रालय व जिला - बक्सर (बिहार), पिन कोड = 802 101, वर्तमान निवासी - 301, अर्चना अपार्टमेंट, जे० डी० बॉमेन्स कॉलेज के पीछे, लाल बहादुर शास्त्री नगर, बेली रोड, शहर व जिला - पटना (बिहार), भारतीय नागरिक, जिसे आगे "लेख्यकारी" कहा गया है।

साक्षात्कृत प्रतिनिधि पत्र जिला से
 जे. बी. कांठार
 पटना सागर जिला और रही पत्रा
 सही प्रमाणित
 Ramesh
 1/2/2012

For Raunak Vatika Pvt. Ltd.

R.K. Chaudhary
Director

2. लेख्यधारी का नाम एवं पुरा पता :-

श्री प्रदीप कुमार गुप्ता (MR. PRADIP KUMAR GUPTA) पिता का नाम श्री श्याम नारायण प्रसाद गुप्ता, निवासी - 301 अर्का अपार्टमेंट, जे0 डी0 बॉमेन्स कॉलेज के पीछे, लाला बहादुर शास्त्री नगर, बेली रोड, शहर बो जिला - पटना (बिहार), भारतीय नागरिक, जिसे आगे "लेख्यधारी" कहा गया है।

3. लेख्य प्रकार :-

सामान्य प्रतिनिधि-पत्र (मुख्तारनामा) / General Power of Attorney.

4. सम्पत्ति का पूर्ण विवरण :-

क्षेत्रफल 1361.25 (एक हजार तीन सौ एकसठ दशमलव दो पाँच) वर्गफीट समतुल्य 3.125 डिसमिल कुल 32 डिसमिल (बत्तीस डिसमिल) में से परती हकरैयती कायनी नकदी में अवस्थित मौजा - जमसौत, परगना - फुलधारी शरीफ थाना - दानापुर, अवर निबंधन कार्यालय - दानापुर, जिला निबंधन कार्यालय बो जिला - पटना (बिहार)। जिसका थाना संख्या - 30 (तीस), कैडेस्ट्रल सर्वे प्लॉट संख्या - 2094 (दो हजार चौरानव), खाता सं0 - 180 (एक सौ अस्सी), तौजी - 5456 (पाँच हजार चार सौ छप्पन), वो सम्पत्ति का सालाना लगान बंजमिन्दारी बिहार सरकार बजरिये अचलाधिकारी कार्यालय, दानापुर को देय है वो सम्पत्ति जो पटना क्षेत्रीय विकास प्राधिकार (विघटित) के अन्दर है जिसका कुल 32 डिसमिल (बत्तीस डिसमिल) का चौहदी निम्नलिखित है :-

चौहदी :-

उत्तर - श्री गिरधारी सिंह सर्वे खसरा संख्या - 2119
दक्षिण - श्री बंगाली राय सर्वे खसरा संख्या - 2092
वो 2093.
पूरब - श्री बंगाली राय सर्वे खसरा संख्या - 2095
पश्चिम - आहर / सहायक रास्ता।
नोट :- नयूनतम दर पर्जी के क्रम संख्या - 151 पर अंकित है।

Fer Raunak Vatika Pvt. Ltd.

R. C. Chaudhary
Director

Ram Kumar

हकियत यह है कि लेख्यकारी श्री रमेश कुमार, पिता का नाम स्वर्गीय डा० भृगुनाथ प्रसाद ने खाने संख्या-4 में वर्णित सम्पत्ति को अपनी खास वो निजी धन से दिनांक - 20.01.2012 को निबंधित विक्रय-पत्र संख्या-2185 पुस्तक संख्या-1, टोकन संख्या-1888/2012, सिरीयल संख्या-1876/2012, जिला निबंधन कार्यालय, पटना के द्वारा शिबली नोमानी, पिता का नाम स्वर्गीय अब्दुल सत्तार, निवास स्थान - सब्जीबाग, पत्रालय - बाँकीपुर, थाना - पीरबहोर, शहर वो जिला - पटना (बिहार), भारतीय नागरिक, बहैसियत मोखतारेआम मिनजानिव श्री राम कृष्ण दास, पिता का नाम स्वर्गीय मथुरा दास, श्री दीपक कुमार दास, पिता का नाम स्वर्गीय राम मनोहर दास वो दादा का नाम स्वर्गीय मथुरा दास वो श्री राम-कुमार दास, पिता का नाम स्वर्गीय मथुरा दास, सभी निवास स्थान - नरगदवा, थाना - शाहपुर, जिला - पटना (बिहार), भारतीय नागरिक, जिसका निबंधित पावर ऑफ अटर्नी सं०-3489, पुस्तक सं०-4, जिल्द सं०-45, पृष्ठ सं०-506 से 513 तक तथा सी० डी० 07/सन 2011, टोकन सं०-22778/2011, दिनांक-11-07-2011 निबंधन कार्यालय, पटना से निबंधित है, बगैरह से खरीद किए हैं तथा खरीदारी के समय से लेख्यकारी उपरोक्त खरीदगी सम्पत्ति पर शान्ति पूर्वक निर्दिवाद रूप से भू-स्वामी की हैसियत से काविज, दखिल वो मालिक मुस्तकिल रहने हुए, सम्पत्ति के उत्पत्ति आय का उपयोग वो उपयोग में लाते हुए चले आ रहे हैं।

श्री रमेश कुमार
पिता का नाम स्वर्गीय
डा० भृगुनाथ प्रसाद
निवास - सब्जीबाग, पटना

मह कि खाने संख्या-4 में वर्णित सम्पत्ति रामी प्रकार के विघ्न, प्रतिबंध, भार, खर्च बाधा आदि से पूर्णतया मुक्त एवं साफ है यह किसी भी प्रकार से न तो विवादित और न ही खस्ताबंद द्वारा अर्जित ही है। यह पूर्ण रूप से निर्दिवाद है।

यह कि लेख्यकारी अपने निजी वो जरूरी कार्यों में हमेशा व्यस्त रहा करते हैं, इसलिए लेख्यकारी खाने संख्या-4 में वर्णित सम्पत्ति को सही ढंग से देख-रेख करने, समुचित सुरक्षा-व्यवस्था तथा सुरक्षित रखने, बिक्री करने हेतु पुरी तरह से असमर्थ हैं इसलिए लेख्यकारी ने निर्णय लिया कि खाने संख्या-4 में वर्णित सम्पत्ति को देख-रेख इत्यादि करने हेतु किसी को प्रतिनिधि (मुख्तार) नियुक्त करें। इसी उद्देश्य को पूरा करने के लिए लेख्यकारी अपनी मानसिक वो शारीरिक रचरथ-अवस्था में रुकवा

श्री रमेश कुमार
पिता का नाम स्वर्गीय
डा० भृगुनाथ प्रसाद
निवास - सब्जीबाग, पटना

For Raunak Vaidya
R.K. Chaudhary
Director

बिना किसी बाहरी अनुचित दबाव वा धमकाव के अपना तथा अपने परिवार के हानि-लाभ को पूर्ण ज्ञान सहित भली-भाँति समझ वा बुझकर तथा हितैषियों एवं कानूनी सलाहकारों से परामर्श लेकर इस प्रतिनिधि-पत्र (मुख्तारनामा) के माध्यम से लेख्यधारी श्री प्रदीप कुमार गुप्ता को अपना सच्चा वा विश्वासी प्रतिनिधि (मुख्तार) नियुक्त करते हैं और लेख्यधारी श्री प्रदीप कुमार गुप्ता को इस प्रतिनिधि-पत्र (मुख्तारनामा) के माध्यम से निम्नलिखित अधिकार देते हैं कि-

1. यह कि खाने संख्या-4 में वर्णित सम्पत्ति के निश्चय लेख्यधारी आवश्यकतानुसार लेख्यकारी के बदले सरकारी कार्यालय, अधसरकारी कार्यालय, निजी / गैरसरकारी कार्यालय वा नगरपालिका / नगर परिषद कार्यालय वा अन्य कार्यालय में जायें जहाँ जिस प्रकार से जरूरत पड़े आवेदन-पत्र देना, नकल वा हस्ताक्षर करना वा हर एक प्रकार की कार्यवाही करेगा।

2. यह कि खाने संख्या-4 में वर्णित सम्पत्ति के विवाद की परिस्थिति में लेख्यधारी आवश्यकतानुसार पैरवी करेगा, लेख्यकारी के बदले जहाँ लेख्यकारी वादी या प्रतिवादी के रूप में हो अधिवक्ता इत्यादि की नियुक्ति करना वा हटाना लेख्यकारी की ओर से करेगा और वकालतनामा, किसी भी प्रकार का आवेदन ब्याज तहरीर, कारण पृच्छा, प्रार्थना-पत्र, समझौता याचिका इत्यादि पर हस्ताक्षर कर सम्बन्धित न्यायालय / कार्यालय में दाखिल कर निष्पादित करेगा वा स्वयं उपस्थित होकर पैरवा करेगा।


3. यह कि लेख्यधारी / प्रतिनिधि लेख्यकारी के बदले खाने संख्या-4 में वर्णित सम्पत्ति का विक्री करने, विक्रय का एकरारनामा करने वा किसी तरह का हस्तान्तरण करना वा किसी भी प्रकार के विलेखों वा वसीकाओं हेतु अगर अनुमति लेने की जरूरत पड़े तब सम्बन्धित कार्यालय / न्यायालय से अपना हस्ताक्षर कर अनुमति लेने हेतु सभी औपचारिकताओं को पूरा कर अनुमति ले लेगा।

4. यह कि खाने संख्या-4 में वर्णित सम्पत्ति के निश्चय लेख्यधारी / प्रतिनिधि एकरारनामा, विक्रय कार्य एकरारनामा, किरायानामा, पट्टा, उप पट्टा, विनिमय-पत्र, विक्रय-मनोबद्ध-पत्र, बन्धक-पत्र, विक्रय-पत्र, शुद्धि-पत्र, किसी तरह का हस्तान्तरण

For Reunak Vaidya

R. K. Chaudhary

Director




पत्र या किसी भी प्रकार के विलेखों या बसीकाओं को एक साथ या खण्ड-खण्ड कर दस्तावेज तैयार कराकर उसपर अपना हस्ताक्षर / उँगलियों का निशान बना कर निष्पादित करेंगे तथा दस्तावेज के निबन्धनार्थ सम्बन्धित निबन्धन कार्यालय में दस्तावेज प्रस्तुत करेंगे तथा सम्बन्धित निबन्धक के समक्ष स्वयं उपस्थित होकर एक शर स्वीकार करेंगे वो निबन्धन की सभी प्रक्रियाओं / औपचारिकताओं को पूरा करेंगे ताकि लेख्यधारी / प्रतिनिधि के द्वारा बसीका के निष्पादन वो निबन्धन कर देने के पश्चात् प्रस्तावित क्रम / अन्त को उक्त सम्पत्ति पर स्वत्व अधिकार प्राप्त हो जाँसा कि लेख्यकारि सम्बन्धित निबन्धन कार्यालय में स्वयं उपस्थित होकर वो रहकर करतें।

5. यह कि लेख्यधारी निबन्धन से प्राप्त रसीद (चिरकूट) पर हस्ताक्षर कर मूल दस्तावेज सम्बन्धित निबन्धन कार्यालय से प्राप्त कर लेंगे।

6. यह कि खाने संख्या-4 में वर्णित सम्पत्ति के निश्चल लेख्यधारी / प्रतिनिधि के द्वारा विक्रय-पत्र किसी तरह का हस्तानांतरण-पत्र या किसी भी प्रकार के विलेखों या बसीकाओं के निष्पादन वो निबन्धन के पश्चात् प्रस्तावित तैला को अपना नाम लेख्यकारी के नाम के स्थान पर किसी भी कार्यालय / नगरपालिका में दर्ज कराने हेतु अगर लेख्यकारी को हस्ताक्षर / उँगलियों का निशान की जरूरत पड़े तब सम्बन्धित दस्तावेजों पर लेख्यधारी / प्रतिनिधि लेख्यकारी के बदले हस्ताक्षर / उँगलियों का निशान बनायेगे तथा सभी औपचारिकताओं को पूरा करेंगे।

7. यह कि लेख्यधारी / प्रतिनिधि द्वारा लेख्यकारी के प्रतिनिधि के रूप में किये गए सभी कार्य एवं धधे लेख्यकारि द्वारा किये गये कार्य एवं धधे समझे जाएँगे जैसे कि लेख्यकारी स्वयं उपस्थित होकर किए हैं।



For Raunak Vatika Pvt. Ltd.
R.K. Chaudhary
Director

8. यह कि लेख्यकारी इस प्रतिनिधि-पत्र (मुख्तारनामा) के बदले लेख्यधारी / प्रतिनिधि से किसी तरह का प्रतिफल प्राप्त नहीं किए है यानि लेख्यकारी एवं लेख्यधारी / प्रतिनिधि को बीच किसी प्रकार का लेन-देन नहीं किया गया है और लेख्यधारी खाने संख्या-4 में वर्णित सम्पत्ति पर किसी तरह का निर्माण या विकास कार्य नहीं करेंगे।

इस वास्ते यह वसीका सामान्य प्रतिनिधि-पत्र (मुख्तारनामा) लेख्यकारी अपनी मानसिक व शारीरिक स्वस्थ-अवस्था में रहकर बिना किसी बाहरी अनुचित दबाव व धमकाव के अपनी तथा अपना परिवार के हानि-लाभ को पूर्ण ज्ञान सहित भली-भाँति समझ व बुझकर तथा हितैषियों एवं कानूनी सलाहकारों से परामर्श लेकर बनाम वो बहक लेख्यधारी श्री प्रदीप कुमार गुप्ता के नाम से स्वतंत्र गवाहान के समक्ष लिख दिया कि समय पर काम आवे के प्रमाण रहे।

दिनांक :- 01 वी0 फरवरी, सन् - 2012 ई0।

प्रदीप कुमार गुप्ता
Pradiip Kumar Gupta
(श्री-प्रदीप कुमार गुप्ता) 01/2/2012

लेख्यधारी का हस्ताक्षर

टंकणकर्त्ता-

Sandeep

प्रारूपकर्त्ता-


Subodh Kumar

सुबोध कुमार (अधिवक्ता)

(म.एस.सी. एन.एल.वी)

For Raunak Vatika Pvt. Ltd.

R.K. Chaudhary
Director



बिहार BIHAR

690942

13351-132012 5000
 क्रम : 13351-132012 5000
 तारीख : 20/12/2012
 मूल्य : 5000
 हर तन्दा : 1
 वास्ते : 1

शरीदार का नाम और उता

Summary of Endorsement

This document was presented for registration on (this) Monday, the 23rd of January 2012 by Shri B. Noman (Agent).
 A stamp duty of Rs. 204800/- and other fees of Rs. 5250/- has been paid in it.
 The document was found admissible. The names, photographs and fingerprints and signatures of the executants, and their identifiers, who have admitted exactly before me, are affixed on the reverse page.
 The document has been registered as deed No. 2185 in Book No. 1, Volume No. 38 on pages from 337 to 357 and has been preserved in total 21 pages in C.D. No. 6 / Year 2012.


SCANNED

राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र, बिहार
 SCORE Ver 2.1

Signature with date
 (Ashok Kumar Thakur)
 Registering Officer, Patna

Date : 01/02/2012 Token No. : 1888 / 2012

20/12/2011 5:13:11 PM



DEED OF ABSOLUTE SALE

(निर्विवाद बिक्रय-पत्र)

यह निर्विवाद बिक्रय-पत्र आज दिनांक 20/10, जनवरी 2012 ई. को लेख्यकारीगण / बिक्रेतागण ने लेख्यधारीगण / क्रेतागण के पक्ष में निष्पादित किया।

Handwritten signatures and notes in Hindi, including names like 'R.C. Chandel' and 'Rajiv Kumar'.

यह निर्विवाद बिक्रय-पत्र आज दिनांक 20/10/2012 ई. को लेख्यकारीगण / बिक्रेतागण ने लेख्यधारीगण / क्रेतागण के पक्ष में निष्पादित किया।
 For Raunak Vatika Pvt. Ltd.
 R.C. Chandel
 Director

Serial No : 1876

Deed No : P. 2185

Token No : 1888

of 2012

| Type & Status of Party | Name of Party | Photo | Thumb | Index | Middle | Ring | Little |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|--------|------|--------|
| In Favour of | Pradip Kumar Gupta <i>Pradip Kumar Gupta</i> 23/1/12 Signature of Party | | | | | | |
| In Favour of | Veena Kumari <i>Veena Kumari</i> 23/1/12 Signature of Party | | | | | | |
| In Favour of | Anju Verma <i>Anju Verma</i> 23/1/12 Signature of Party | | | | | | |
| In Favour of | Suman Lal <i>Suman Lal</i> 23.1.12 Signature of Party | | | | | | |
| In Favour of | Usha Devi <i>Usha Devi</i> 23/01/12 Signature of Party | | | | | | |
| In Favour of | Ramesh Kumar <i>Ramesh Kumar</i> Signature of Party | | | | | | |
| In Favour of | Rashmi Ratan <i>Rashmi Ratan</i> 23/1/12 Signature of Party | | | | | | |
| Presented by If | Shibli Nomani (Agent) <i>Shibli Nomani</i> 23-1-12 Signature of Party | | | | | | |

Const. 21-305-400
 Held 10.0
 Required IN 11
 Paid Amt. 11,248
 100 INR 3282476
 Paid Date 11.08.2012

Shibli Nomani
23/01/12

1. लेख्यकारीगण (बिक्रेतागण) का नाम एवं पुरा पता :-

(i) शिबली नोमानी, पिता का नाम स्वर्गीय अब्दुल सत्तार, निवास स्थान - सब्जीबाग, पत्रालय - बौकीपुर, थाना - पीरबहोर, शहर बो जिला - पटना (बिहार), भारतीय नागरिक।

बहैसियत मोखतारेआम मिनजानिव:-

श्री राम कृष्ण दास, पिता का नाम स्वर्गीय मथुरा दास, श्री दीपक कुमार दास, पिता का नाम स्वर्गीय राम मनोहर दास वी दादा का नाम स्वर्गीय मथुरा दास वी श्री राम कुमार दास पिता का नाम स्वर्गीय मथुरा दास, सभी का निवास स्थान - नरगददा, थाना - शाहपुर, जिला - पटना (बिहार), भारतीय नागरिक।

जिसका निबंधित पावर ऑफ अटर्नी सं०-3489, पुस्तक सं०-4 जिल्द सं०-45, पृष्ठ सं०-506 से 513 तक तथा सी० डी० 07/सन् 2011, टोकन सं०-22778/2011, दिनांक - 11-07-2011 निबंधन कार्यालय, पटना से निबंधित है।

(इसमें इनके उत्तराधिकारीगण, स्थानापत्र एवं विधिक प्रतिनिधि इत्यादि सम्मिलित हैं), जिसे आगे "लेख्यकारीगण/बिक्रेतागण सं०-1" कहा गया है।

(ii) श्री सुखनन्दन राय, पिता का नाम स्व० गंगा विशुन राय निवास स्थान - विशुनपुर, थाना - अकिलपुर, पत्रालय माधोपुर, जिला - पटना (बिहार), भारतीय नागरिक, स्वयं

श्री सुरेन्द्र पासवान, पिता का नाम श्री जगदीश पासवान, निवास स्थान - अकलुचक, थाना - शाहपुर, जिला - पटना (बिहार), भारतीय नागरिक।


बहैसियत मोखतारेआम मिनजानिव:-

श्रीमती निर्मला देवी, पति का नाम श्री विनय कुमार प्रजापति, निवासी - मठियापुर, थाना-शाहपुर, पत्रालय - जमसौत, जिला-पटना (बिहार), भारतीय नागरिक।

जिसका निबंधित पावर ऑफ अटर्नी सं०-1431, पुस्तक सं०-4 जिल्द सं०-17, पृष्ठ सं०-247 से 254 तक तथा सी० डी० 03, टोकन सं०-7900/2011, दिनांक-19-07-2011 अवर निबंधन कार्यालय, दारुपुर से निबंधित है।

For Raunak Vatika Pvt. Ltd.
R.C. Chaudhary
Director

श्री सुरेन्द्र पासवान के पिता श्री जगदीश पासवान के निष्पत्तिक
श्री निर्मला देवी एवं अनुपमा की ओर से लेख्य
का से वही है जो गणेश सुंदर पट्टक प्रमाण लिपि
की प्रमाण सुनिश्चित करने के लिये
20-4-2012



वा

अनुपमा, पिता का नाम श्री तेज नारायण सिंह, निवास स्थान - हरनीचक, न्यू बाईपास रोड, अनिशाबाद, जिला - पटना (बिहार), भारतीय नागरिक।

जिसका निबंधित पावर ऑफ अटर्नी सं०-5325, पुस्तक सं०-4, जिल्द सं०-70, पृष्ठ सं०-229 से 235 तक तथा सी० डी० 11, टोकन सं०-32130/2011, दिनांक-25-10-2011 निबंधन कार्यालय, पटना से निबंधित है।

(इसमें इनके उत्तराधिकारीगण स्थानापन्न एवं विधिक प्रतिनिधि इत्यादि सम्मिलित हैं), जिसे आगे "लेख्यकारीगण/बिक्रेतागण सं०-II/पुष्टिकर्ता/समर्थक पक्ष" जो लागू हो कहा गया है।

(III) श्री मनीष कुमार, पिता का नाम श्री राम पत्नी सिंह, निवास स्थान - मैनपुरा, पत्रालय - दानापुर कैंट, थाना - दानापुर, जिला - पटना (बिहार), भारतीय नागरिक।

बहैसियत मोखतारेआम मिनजानिव:-

(1) श्री गोबर्धन प्रजापति उर्फ गनौरी पंडित, पिता का नाम स्वर्गीय सुखदेव पंडित, (2) श्री सच्चिदानन्द पंडित, पिता का नाम स्वर्गीय सुखदेव पंडित, (3) श्री गौतम प्रजापति, पिता का नाम स्वर्गीय देवलाल पंडित, (4) श्री महेश पंडित, पिता का नाम स्वर्गीय श्याम बाबु पंडित, (5) श्री सिद्धेश्वर पंडित, पिता का नाम स्वर्गीय देव नारायण पंडित, सभी का निवास स्थान - मठियापुर, पत्रालय - जमसौत, थाना - शाहपुर, जिला - पटना (बिहार), भारतीय नागरिक।

जिसका निबंधित पावर ऑफ अटर्नी सं०-2440, पुस्तक सं०-4, जिल्द सं०-28, पृष्ठ सं०-554 से 560 तक तथा सी० डी० 05, टोकन सं०-12360/2011, दिनांक-08-12-2011 अवर निबंधन कार्यालय, दानापुर से निबंधित है।

(इसमें इनके उत्तराधिकारीगण, स्थानापन्न एवं विधिक प्रतिनिधि इत्यादि सम्मिलित हैं), जिसे आगे "लेख्यकारीगण/बिक्रेतागण सं०-III/पुष्टिकर्ता/समर्थक पक्ष" जो लागू हो कहा गया है।

(इसमें इनके उत्तराधिकारीगण, स्थानापन्न एवं विधिक प्रतिनिधि इत्यादि सम्मिलित हैं), जिसे आगे सम्मिलित रूप से "लेख्यकारीगण / बिक्रेतागण" कहा गया है।

Dr. Raunak Vatika
20/11/12

20/11/12

Dr. Raunak Vatika

20/11/12

श्री मनीष कुमार उर्फ गनौरी पंडित श्री गोबर्धन प्रजापति
उर्फ गनौरी पंडित श्री सच्चिदानन्द पंडित श्री गौतम प्रजापति श्री महेश
पंडित श्री सिद्धेश्वर पंडित श्री गौर से वैद्य शिखा सो सभी
के साजान सुई पटकर समझ निवाह हमानर कुल रूपमा
वैधम पाया।

Dr. Raunak Vatika

20/11/12

मनीष कुमार

20/11/12

20/11/12

For Raunak Vatika
R. C. Chaudhary
Director

2. लेख्यधारीगण (केतागण) का नाम एवं पुरा पता :-

I. श्रीमती अंजु वर्मा (SMT. ANJU VERMA), पति का नाम श्री संजय कुमार वर्मा वो पिता का नाम स्वर्गीय उमा बिहारी लाल, निवासी - 101, बिरेन्द्र रेसीडेन्सी, रोड नं० 12, राजेन्द्र नगर, शहर वो जिला - पटना (बिहार), पिन कोड - 800 016, भारतीय नागरिक।

PAN - AKOPV3826F.

इस निर्विवाद बिक्रय-पत्र के द्वारा लेख्यधारी/क्रेता सं०-I खाने संख्या-5 में वर्णित सम्पत्ति में से 3233 (तीन हजार दो सौ तैतीस) वर्गफीट जमीन खरीद रही हैं।

II. श्रीमती सुमन लाल (SMT. SUMAN LAL), पति का नाम श्री अजय लाल वो पिता का नाम स्वर्गीय सुशील कुमार लाल, निवासी - देवी गैस गोदाम के नजदीक, हेसल, पत्रालय - हेहल, थाना - सुखदेव नगर, शहर वो जिला - राँची (झारखण्ड), पिन कोड - 834 005, भारतीय नागरिक।

PAN - AGGPL7851G.

इस निर्विवाद बिक्रय-पत्र के द्वारा लेख्यधारी/क्रेता सं०-II खाने संख्या-5 में वर्णित सम्पत्ति में से 851 (आठ सौ एकावन) वर्गफीट जमीन खरीद रही हैं।

III. श्री रमेश कुमार (MR. RAMESH KUMAR), पिता का नाम स्वर्गीय डा० भृगुनाथ प्रसाद, C/O श्री कन्हैया प्रसाद, निवासी - क्षीर सागर के सामने, ठठेरी बाजार, पत्रालय वो जिला - बक्सर (बिहार), पिन कोड - 802 101, भारतीय नागरिक।

PAN - AFRPK7238J.

इस निर्विवाद बिक्रय-पत्र के द्वारा लेख्यधारी/क्रेता सं०-III खाने संख्या-5 में वर्णित सम्पत्ति में से 1361.25 (एक हजार तीन सौ एकसठ दशमलव दो पाँच) वर्गफीट जमीन खरीद रहे हैं।

IV. श्रीमती रश्मि रतन (SMT. RASHMI RATAN), पति का नाम डा० पियुष प्रिय, निवासी - C/O रतन कुमार काली मंदिर के सामने, राम जानकी पथ, हनुमान नगर, शहर वो जिला - पटना (बिहार), पिन कोड - 800 020, भारतीय नागरिक।

PAN - AHOPR6608L.

इस निर्विवाद बिक्रय-पत्र के द्वारा लेख्यधारी/क्रेता सं०-IV खाने संख्या-5 में वर्णित सम्पत्ति में से 1361.25 (एक हजार तीन सौ एकसठ दशमलव दो पाँच) वर्गफीट जमीन खरीद रही हैं।

श्री मनीष कुमार
20/1/12

श्री सुरेश पाण्डेय
20/1/12

487
श्री गणेश
20-7-2012

श्रीमती सुमन लाल
20/1/12

Witness
ANAY LAL
6/0 Late Uma Bihari Lal
Present, near Bawar
Godown P.C. Helal, Rahe
Road Raanchi

For Raunak Vastu
R.K. Chaudhary
Director

V. श्री प्रदीप कुमार गुप्ता (MR. PRADIP KUMAR GUPTA), पिता का नाम श्री प्रियाम नारायण प्रसाद गुप्ता, निवासी - 301, अर्चना अपार्टमेंट, जे0 डी0 बॉमेन्स कॉलेज के पीछे, लाल बहादुर शास्त्री नगर, बेली रोड, शहर वो जिला - पटना (बिहार), पिन कोड - 800023, भारतीय नागरिक।

PAN - AAZPG1991M.

इस निर्विवाद बिक्रय-पत्र के द्वारा लेख्यधारी/क्रेता सं0-v खाने संख्या-5 में वर्णित सम्पत्ति में से 3403.125 (तीन हजार चार सौ तीन दशमलव एक दो पाँच) वर्गफीट जमीन खरीद रहे हैं।

VI. श्रीमती वीणा कुमारी (SMT. VEENA KUMARI), पति का नाम श्री बिरेन्द्र कुमार, निवासी - C/O स्वर्गीय शिवधारी साव, अरवल पेट्रोल पम्प के सामने, अरवल सिपाह, पत्रालय, थाना वो जिला - अरवल (बिहार), पिन कोड - 804401, भारतीय नागरिक। फार्म 60 संलग्न।

इस निर्विवाद बिक्रय-पत्र के द्वारा लेख्यधारी/क्रेता सं0-v खाने संख्या-5 में वर्णित सम्पत्ति में से 2368.325 (दो हजार तीन सौ अड़सठ दशमलव तीन दो पाँच) वर्गफीट जमीन खरीद रही हैं।

VII. श्रीमती उषा देवी (SMT. USHA DEVI), पति का नाम श्री सुजीत कुमार, निवासी - C/O श्री लालु प्रसाद, सुरभि विहार, मुपतिपुर मोड़, न्यु बाईपास, पत्रालय - डेलवॉ, थाना - रामकृष्णा नगर, शहर वो जिला - पटना (बिहार), पिन कोड - 800020, भारतीय नागरिक। फार्म 60 संलग्न।

इस निर्विवाद बिक्रय-पत्र के द्वारा लेख्यधारी/क्रेता सं0-v खाने संख्या-5 में वर्णित सम्पत्ति में से 1361.25 (एक हजार तीन सौ एकसठ दशमलव दो पाँच) वर्गफीट जमीन खरीद रही हैं।

(इसमें इनके उत्तराधिकारीगण, स्थानापत्र एवं विधिक प्रतिनिधि इत्यादि सम्मिलित हैं), जिसे आगे "क्रेतागण" कहा गया है।

3. लेख्य प्रकार :- निर्विवाद बिक्रय-पत्र

Deed of Absolute Sale.

4. बिक्रय की जा रही सम्पत्ति का मूल्य :-

अंकन :- ₹25,60,000/- (पच्चीस लाख साठ हजार रुपये) मात्र
वो मूल्यधिक थाना कोड संख्या - 151 हैं।

For Raunak Vatika Pvt. Ltd.
R.C. Chaudhary
Director

Handwritten notes and signatures on the right side of the page, including names like 'Rajendra Kumar', 'Usha Devi', and dates like '20/1/12'.

5. बिक्रेतागण द्वारा क्रेतागण को बिक्रय की जा रही सम्पत्ति का पूर्ण विवरण :-

हमगी वो तमामी मवाजी 32 डिसमिल (बत्तीस डिसमिल) एराजी आवासीय परती हकरैयती कायमी नकदी भूमी अवस्थित मौजा - जमसौत, परगना - फुलवारी शरीफ, थाना - दानापुर अवर निबंधन कार्यालय - दानापुर, जिला निबंधन कार्यालय व जिला - पटना (बिहार)। जिसका थाना संख्या - 30 (तीस), कैडेस्ट्रल सर्वे खसरा संख्या - 2094 (दो हजार चौरानवे), खाता सं० - 180 (एक सौ अस्सी), तौजी - 5456 (पाँच हजार चार सौ छप्पन), वो सम्पत्ति का सालाना लगान ₹10/- अलावे शेष, बजमिन्दारी बिहार सरकार बजरिये अंचलाधिकारी कार्यालय, दानापुर को जमाबन्दी संख्या 3255 सन् 2010-2011 पर देय है वो सम्पत्ति जो पटना क्षेत्रीय विकास प्राधिकार (विघटित) के अन्दर है जिसका चौहदी निम्नलिखित है :-

:- : चौहदी :-

- उत्तर :- श्री गिरधारी सिंह सर्वे खसरा संख्या - 2113.
दक्षिण :- श्री बंगाली राय सर्वे खसरा संख्या - 2092
वो 2093
पूरब :- श्री बंगाली राय सर्वे खसरा संख्या - 2095.
पश्चिम :- आहर / सहायक रास्ता।

नोट :- इस निर्विवाद बिक्रय-पत्र के पेज सं० 18 के रुप में एक नक्सा संलग्न है जिसमें लाल रंग से रंगा भाग बिक्रेतागण द्वारा क्रेतागण को बेचा जा रहा है।

:- : सन्दर्भ :-

हकियत यह है कि मथुरा दास (मूल लेख्यकारीगण सं० 1 में श्री राम कृष्ण दास वो श्री राम कुमार दास के पिता वो श्री दीपक कुमार दास के दादा) पिता का नाम जितलाल दास, निवास स्थान - नरगददा, थाना - दानापुर हाल थाना - शाहपुर, जिला - पटना (बिहार) ने एक निबंधित बिक्रय-पत्र के माध्यम से अपनी निजी वो खास धन के द्वारा खाने संख्या-5 में वर्णित सम्पत्ति वो अन्य सम्पत्ति दिनांक - 15-11-1943 ई० को निबंधित बय दस्तावेज संख्या - 7585, पुस्तक संख्या-1, जिल्द संख्या - 9 सन् 1944, पृष्ठ संख्या = 247 से 252 तक, निबंधन कार्यालय - पटना, के द्वारा मो० मंगली जी के माध्यम से

For Raunak Vatika Pvt. Ltd.
R.K. Chaudhary
Director

श्री मनीष कुमार
20/11/12

श्री सु(3) पाण्डे
20-9-2012

श्री सु(3) पाण्डे
20/11/12

कुंवर, पति का नाम स्वर्गीय राम रतन महतो, नरगढ़दा, थाना -
दोनापुर हाल थाना - शाहपुर, जिला - पटना (बिहार) से खरीद
किए तथा खरोदारी के दिन से मथुरा दास (मूल लेख्यकारीगण
सं० 1 में श्री राम कृष्ण दास वो श्री राम कुमार दास के पिता वो
श्री दीपक कुमार दास के दादा) उपरोक्त खरीदगी सम्पत्ति पर
शान्ति पूर्वक निर्विवाद रूप से भू-स्वामी की हैसियत से काविज
दाखिल वो मालिक मुस्तकिल रहते हुए, अपने सभी सम्पत्तियों के
जायज वारिस वो कानूनी उत्तराधिकारी अपने चार पुत्रगण नामतः
श्री राम कृष्ण दास, श्री राम मनोहर दास, श्री राम निरंजन दास
वो- श्री राम कुमार दास को छोड़कर स्वर्गवास कर गए। अपने
पिता द्वारा छोड़े गए सभी सम्पत्तियों की जायज वारिस वो
कानूनी उत्तराधिकारीगण श्री राम कृष्ण दास, श्री राम मनोहर
दास, श्री राम निरंजन दास वो श्री राम कुमार दास सभी
सम्पत्तियों के जायज वारिस वो कानूनी उत्तराधिकारीगण वो
भू-स्वामीगण की हैसियत से इजमालन काविज दाखिल वो
मालिक मुस्तकिल रहते चले आए। कुछ समयबाद उपरोक्त चारों
भाई श्री राम कृष्ण दास, श्री राम मनोहर दास, श्री राम निरंजन
दास वो श्री राम कुमार दास आपस में बंटबारा के द्वारा सम्पत्तियों
को बांट लिए, जिससे खाने संख्या-5 की वर्णित सम्पत्ति श्री राम
कृष्ण दास, श्री राम मनोहर दास वो श्री राम कुमार दास को
खास हिस्सा वो दाज में मिला। जिसपर तीनों भाई श्री राम कृष्ण
दास, श्री राम मनोहर दास वो श्री राम कुमार दास खाने
संख्या-5 की वर्णित सम्पत्ति वो अन्य सम्पत्तियों के जायज वारिस
वो कानूनी उत्तराधिकारीगण वो भू-स्वामीगण वो अपने हिन्दु
अविभजित परिवार के कर्ता की हैसियत से निर्विवाद रूप से
काविज दाखिल वो मालिक मुस्तकिल रहते हुए, सम्पत्ति के
उत्पत्तित आय का उपभोग वो उपयोग में लाते हुए चले आए।
समयोपरान्त राम मनोहर दास अपने सभी सम्पत्तियों के जायज
वारिस वो कानूनी उत्तराधिकारी अपने एकमात्र पुत्र श्री दीपक
कुमार दास को छोड़कर स्वर्गवास कर गए। उपरोक्त सम्पत्ति पर
मूल-लेख्यकारीगण / बिक्रेतागण सं०-1 शान्ति पूर्वक निर्विवाद
रूप से भू-स्वामीगण की हैसियत से काविज दाखिल वो मालिक
मुस्तकिल रहते हुए, सम्पत्ति के उत्पत्तित आय का उपभोग वो
उपयोग में लाते हुए, अपना नाम रजिस्टर-2 में दर्ज कराकर
भू-स्वामीगण जमाबंदी संख्या - 3255 पर अंचलाधिकारी कार्यालय
दोनापुर के निर्विवाद रूप से पूर्ण भू-स्वामीगण की हैसियत से
द्वय करते चले आ रहे हैं।

सभी सम्पत्ति कुंवर
20/1/12

सभी छोड़ पातगण

20/1/12

बिचला गे नो नो

20/1/12

48/15/9/05720

20-9-2012

For Raunak Vatika P.w.
R.K. Chaudhary
Director

यह कि मूल लेख्यकारीगण / बिक्रेतागण सं०-1 में उपरोक्त खाने संख्या-5 में वर्णित सम्पत्ति को देखभाल, बिक्रय आ अन्य कार्य करन हेतु शिबली नोमानी, पिता का नाम स्वर्गीय अब्दुल सत्तार, निवास स्थान - सब्जीबाग, पत्रालय - बाँकीपुर थाना - पीरबहोर, शहर वो जिला - पटना (बिहार) का एक निबंधित पावर ऑफ अटर्नी सं०-3489, पुस्तक सं०-4 जिल्द सं०-45, पृष्ठ सं०-506 से 513 तक तथा सी० डी० 07/सन 2011, टोकन सं०-22778/2011, दिनांक-11-07-2011 निबंधन कार्यालय-पटना सदर के द्वारा मोखतार नियुक्त किए।

यह कि शिबली नोमानी, पिता का नाम स्वर्गीय अब्दुल सत्तार, निवास स्थान - सब्जीबाग, पत्रालय - बाँकीपुर, थाना - पीरबहोर, शहर वो जिला - पटना (बिहार), वहैसियत माखतारआम मिनजानिव मूल लेख्यकारीगण / बिक्रेतागण सं०-1 की ओर से खाने संख्या-5 में वर्णित सम्पत्ति को इस निर्विवाद बिक्रय-पत्र के द्वारा बिक्री कर रहे हैं।

यह कि खाने संख्या-5 में वर्णित सम्पत्ति उपरोक्त मथुरा दास (मूल लेख्यकारीगण सं० I में श्री राम कृष्ण दास वो श्री राम कुमार दास के पिता वो श्री दीपक कुमार दास के दादा) पिता का नाम जितलाल दास, निवास स्थान - नरगददा, थाना - दानापुर हाल थाना - शाहपुर, जिला - पटना (बिहार) की अपनी निजी वो खास धन के द्वारा खरीदगी सम्पत्ति थी, वो उपरोक्त खाने संख्या-5 में वर्णित सम्पत्ति पर मथुरा दास के अलावा किसी का भी हक, अधिकार या हिस्सा नहीं था, इसके बाबजूद इनके चचेरे भाई के पुत्र श्री मनमोहन दास उर्फ मोहन सिंह पिता का नाम बाबु सुकर सिंह ने एक निबंधित बय दस्तावेज दिनांक 27.05.1969 के द्वारा राम बरण पंडित पिता का नाम स्वर्गीय सुकन पंडित, को बिक्रय कर दिए वो राम बरण पंडित के एक मात्र पुत्री रामपति देवी थी, जिसकी शादी राम नारायण पंडित से हुई, राम बरण पंडित ने एक निबंधित दान-पत्र दिनांक 10.11.1978 के द्वारा उपरोक्त खाने संख्या-5 में वर्णित सम्पत्ति अपने दामाद राम नारायण पंडित को दे दिए, समयोपरान्त राम नारायण पंडित अपने पीछे अपनी पत्नी रामपति देवी को छोड़कर स्वर्गवास



For Raunak Vatika Pvt. Ltd.
R.K. Chaudhary
Director

Handwritten notes in Hindi, including dates like 20/11/12 and 20-1-12, and names like 'शिबली नोमानी'.

Handwritten notes in Hindi, including a date 20-9-2012 and a signature.

यह कि खाने संख्या-5 में वर्णित सम्पत्ति को उपरोक्त रामपति देवी पति का नाम राम नारायण पंडित, निवास स्थान - मठियापुर, पत्रालय - जमसौत, थाना - शाहपुर, जिला - पटना (बिहार) ने उपरोक्त खाने संख्या-5 में वर्णित सम्पत्ति को निबंधित बिक्रय-पत्र सं० 3657, पुस्तक सं०-1, जिल्द सं०-49, पृष्ठ सं०-132 से 141 तक दिनांक- 30-04-2008 के द्वारा श्रीमती निर्मला देवी, पति का नाम श्री विनय कुमार प्रजापति, निवासी - मठियापुर, थाना-शाहपुर, पत्रालय - जमसौत, जिला-पटना (बिहार) को निबंधित बिक्रय-पत्र सं० 3658, पुस्तक सं०-1, जिल्द सं०-49, पृष्ठ सं०-142 से 151 तक तथा सी० डी० 08/सन् 2008, टोकन सं० 3641 सन् 2008, दिनांक- 30-04-2008 के द्वारा श्री विनय कुमार प्रजापति पिता का नाम स्व० सुखदेव पंडित, निवासी - मठियापुर, थाना-शाहपुर, पत्रालय - जमसौत, जिला-पटना (बिहार) को बिक्री कर दी।

यह कि मूल लेख्यकारिणी / बिक्रेताग सं०-II के श्रीमती निर्मला देवी, पति का नाम श्री विनय कुमार प्रजापति, निवासी - मठियापुर, थाना-शाहपुर, पत्रालय - जमसौत, जिला-पटना (बिहार) उपरोक्त खाने संख्या-5 में वर्णित सम्पत्ति में से 16 डीसमील जमीन को देखभाल, बिक्रय व अन्य कार्य करने हेतु श्री सुरेन्द्र पासवान, पिता का नाम श्री जगदीश पासवान, निवास स्थान - अकलुचक, थाना - शाहपुर, जिला - पटना (बिहार) को एक निबंधित पावर ऑफ अटर्नी सं०-1431, पुस्तक सं०-4, जिल्द सं०-17, पृष्ठ सं०-247 से 254 तक तथा सी० डी० 03, टोकन सं०-7900/2011, दिनांक-19-07-2011 अवर निबंधन कार्यालय, दानापुर से निबंधित के द्वारा मोखतार नियुक्त की।

यह कि मूल लेख्यकारिणी / बिक्रेताग सं०-II के श्री विनय कुमार प्रजापति पिता का नाम स्व० सुखदेव पंडित, निवासी - मठियापुर, थाना-शाहपुर, पत्रालय - जमसौत, जिला-पटना (बिहार) उपरोक्त खाने संख्या-5 में वर्णित सम्पत्ति में से अपने खरीदगी जमीन को देखभाल, बिक्रय व अन्य कार्य करने हेतु श्री चन्द्रभूषण सिंह, पिता का नाम श्री परमानन्द राय, निवास स्थान - विशुनपुर, थाना - अकिलपुर, पत्रालय - माधोपुर, जिला - पटना (बिहार) को एक निबंधित पावर ऑफ अटर्नी सं०-3067, पुस्तक सं०-4, जिल्द सं०-40, पृष्ठ सं०-158 से 164 तक तथा सी० डी० 07, टोकन सं०-22895/2010, दिनांक-22-07-2010 अवर निबंधन कार्यालय, दानापुर से निबंधित के द्वारा मोखतार नियुक्त किया।

For Raunak Vatika Pvt. Ltd.
R.K. Chaudhary
Director

राम नारायण पंडित
20/11/12
विनय कुमार प्रजापति
21/11/12
सुरेन्द्र पासवान
20/11/12
चन्द्रभूषण सिंह
20/11/12

यह कि श्री चन्द्रभूषण सिंह पिता का नाम श्री परमानन्द राय, निवास स्थान - विशुनपुर थाना - अकिलपुर, पत्रालय - माधोपुर, जिला - पटना (बिहार) बहैसियत मोखतारेआम मिनजानिव श्री विनय कुमार प्रजापति-पिता का नाम स्व० सुखदेव पंडित, निवासी - मठियापुर, थाना-शाहपुर, पत्रालय - जमसौत, जिला-पटना (बिहार) ने दो बिक्रय-पत्र के द्वारा पहला से 10 डिसमील जमीन को बिक्रय-पत्र सं० 6903, पुस्तक सं०-1, जिल्द सं०-101, पृष्ठ सं०-540 से 549 तक तथा सी० डी० 16, टोकन सं०-8725/2010, दिनांक-03-08-2010 अवर निबंधन कार्यालय, दानापुर को दुसरा से 3 डिसमील जमीन को बिक्रय-पत्र सं० 7262, पुस्तक सं०-1, जिल्द सं०-107, पृष्ठ सं०-44 से 50 तक तथा सी० डी० 17, टोकन सं०-9165/2010, दिनांक- 13-08-2010 अवर निबंधन कार्यालय, दानापुर के द्वारा श्री सुखनन्दन राय, पिता का नाम स्व० गंगा विशुन राय, निवास स्थान - विशुनपुर थाना - अकिलपुर, पत्रालय - माधोपुर, जिला - पटना (बिहार) को बिक्री कर दिए।

यह कि श्री सुखनन्दन राय, पिता का नाम स्व० गंगा विशुन राय, निवास स्थान - विशुनपुर, थाना - अकिलपुर, पत्रालय - माधोपुर, जिला - पटना (बिहार) एवं श्री चन्द्रभूषण सिंह, पिता का नाम श्री परमानन्द राय, निवास स्थान - विशुनपुर, थाना - अकिलपुर, पत्रालय - माधोपुर, जिला - पटना (बिहार) बहैसियत मोखतारेआम मिनजानिव श्री विनय कुमार प्रजापति पिता का नाम स्व० सुखदेव पंडित, निवासी - मठियापुर, थाना-शाहपुर, पत्रालय - जमसौत, जिला-पटना (बिहार) ने 6 डिसमील जमीन दिनांक-13-08-2010 को बिक्रय-पत्र सं० 7261, पुस्तक सं०-1, जिल्द सं०-107, पृष्ठ सं०-36 से 43 तक तथा सी० डी० 17, अवर निबंधन कार्यालय, दानापुर के द्वारा अनुपमा, पिता का नाम श्री तेज नारायणा सिंह, निवास स्थान - हरनीवक, न्यु बाईपास रोड, अनिशाबाद जिला - पटना (बिहार) को बिक्री कर दिए।

सर्व मन्त्री कुमार
20/11/12

सर्व जे०३ पालवान


20/11/12

बिनाम निमित्त
20/11/12

सर्व मन्त्री कुमार

20-9-2012

For Raunak Vatika Pvt. Ltd.
R.K. Chaudhary
Director



यह कि मूल लेख्यकारिणी / बिक्रेताग सं०-II की अनुपमा, पिता का नाम श्री तेज नारायण सिंह, निवास स्थान - हरनीचक, न्यु बाईपास रोड, अनिशाबाद, जिला - पटना (बिहार) उपरोक्त खाने संख्या-5 में वर्णित सम्पत्ति में से अपने खरीदगी जमीन 6 डीसमील को देखभाल, बिक्रय-वो, अन्य कार्य करने हेतु श्री सुरेन्द्र पासवान, पिता का नाम श्री जयदीश पासवान, निवास स्थान - अकलुचक, थाना - शाहपुर, जिला - पटना (बिहार) को एक निबंधित पावर ऑफ अटर्नी सं०-5325, पुस्तक सं०-4, जिल्द सं०-70, पृष्ठ सं०-229 से 235 तक तथा सी० डी० 11, टोकन सं०-32130/2011, दिनांक-26-10-2011 निबंधन कार्यालय, पटना से निबंधित के द्वारा मोखतार नियुक्त की।

यह कि रामपति देवी ने ही उपरोक्त खाने संख्या-5 में वर्णित सम्पत्ति को एक निबंधित वस्तीयतनामा सं० 132, पुस्तक सं०-3, जिल्द सं०-2, पृष्ठ सं०-409 से 423 तक तथा सी० डी० 01/सन् 2008, दिनांक-20-09-2008 के द्वारा अपने चचेरे भाई श्री गोबर्धन प्रजापति उर्फ गनौरी पंडित, पिता का नाम स्वर्गीय सुखदेव पंडित, श्री सच्चिदानन्द पंडित, पिता का नाम स्वर्गीय सुखदेव पंडित श्री गौतम प्रजापति, पिता का नाम स्वर्गीय देवलाल पंडित, श्री महेश पंडित, पिता का नाम स्वर्गीय श्याम बाबु पंडित, श्री सिद्धेश्वर पंडित, पिता का नाम स्वर्गीय नर नारायण पंडित, सभी का निवास स्थान - मठियापुर, पत्रालय - जमसौत, थाना - शाहपुर, जिला - पटना (बिहार) को भी दे दी।

यह कि मूल लेख्यकारीगण / बिक्रेतागण सं०-III ने उपरोक्त खाने संख्या-5 में वर्णित सम्पत्ति को देखभाल, बिक्रय वो अन्य कार्य करने हेतु श्री मनीष कुमार, पिता का नाम श्री राम पन्नी सिंह, निवास स्थान - मैनपुरा, पत्रालय - दानापुर कैंट, थाना - दानापुर, जिला - पटना (बिहार) को एक निबंधित पावर ऑफ अटर्नी सं०-2440, पुस्तक सं०-4, जिल्द सं०-28, पृष्ठ सं०-554 से 560 तक तथा सी० डी० 05, टोकन सं०-12360/2011, दिनांक-08-12-2011 अवर निबंधन कार्यालय, दानापुर से निबंधित के द्वारा मोखतार नियुक्त किए।

For Raunak Vatika Pvt. Ltd.
R. K. Chaudhary
Director

सही मनीष कुमार
20/11/12

श्री सुरेन्द्र पासवान

20-10-2008

श्री रामपति देवी

20-1-12

यह कि उपरोक्त खाने संख्या-5 में वर्णित सम्पत्ति को क्रेतागण जिनका पूर्ण विवरण खाने संख्या-2 में वर्णित है को इस निर्विवाद बिक्रय-पत्र के द्वारा खरीदने जा रही है, उपरोक्त खाने संख्या-5 में वर्णित सम्पत्ति को क्रेतागण द्वारा खरीदने के बाद भविष्य में कोई वाद, विवाद "लेख्यकारीगण/बिक्रेतागण सं0-II वो III/पुष्टिकर्ता/समर्थक पक्ष" या इनके उत्तराधिकारीगण, स्थानापन्न एवं विधिक प्रतिनिधि, इत्यादि से नहीं हो, इसलिए "लेख्यकारीगण/बिक्रेतागण सं0-II वो III/पुष्टिकर्ता/समर्थक पक्ष" ने स्वयं / वहैसियत मोखतारेआम भिनजानेव भूत लेख्यकारीगण के निर्देशानुसार उपरोक्त खाने संख्या-5 में वर्णित सम्पत्ति में अपना सम्पूर्ण हिस्सा यानि वर्तमान में जो भी है या भविष्य में जो भी हासिल होगा, वह सम्पूर्ण हिस्सा के निश्चय क्रेतागण जिनका पूर्ण विवरण खाने संख्या-2 में वर्णित है से कुल और पूरा कीमत प्राप्त करने के बाद, यह निर्णय लिया कि इस निर्विवाद बिक्रय-पत्र के द्वारा सारे वाद-विवाद को समाप्त करते हुए अपना सम्पूर्ण हक, अधिकार वो कब्जा क्रेतागण को दे दिए, अब क्रेतागण बिना प्रतिबंध, विघ्न, भार एवं बाधा रहित सम्पत्ति का पूर्ण उपयोग वो उपभोग भू-स्वामी के रूप में स्वेच्छानुसार निर्माण-करें या बिक्रय, दान, तस्वीयत, गिरवी या किसी प्रकार का हस्तानान्तरण पत्र इत्यादि करेगें या जिस तरह से चाहे अपने उपयोग वो उपभोग में लावें या जो चाहें सो करें। अब बिक्रेता द्वारा इस निर्विवाद बिक्रय-पत्र को निष्पादन कर देने के पश्चात्, "लेख्यकारीगण/बिक्रेतागण सं0-II वो III/पुष्टिकर्ता/समर्थक पक्ष" तथा इनके उत्तराधिकारीगण को किसी प्रकार का हक, स्वामित्व, अधिकार एवं दखल-कब्जा वो किसी प्रकार का आपत्ति खाना संख्या-5 में वर्णित सम्पत्ति पर न है वो न भविष्य में होगा। अगर दावा करते है तो वह दावा इस बिक्रय-पत्र के आधार पर अवैधानिक, शून्य, गलत, अमान्य वो गैरकानूनी समझा जायेगा।

यह कि अब खाने संख्या-5 में वर्णित सम्पत्ति सभी प्रकार के विघ्न, प्रतिबंध, भार एवं बाधा आदि से पूर्णतया मुक्त एवं साफ है यह किसी भी प्रकार से न तो विवादित और न ही सरकार द्वारा अर्जित ही है। यह पूर्ण रूप से निर्विवाद है।

For Raunak Natika P...
R.K. Chaudh
Director

रही मर्गिष कुमार
20/11/12

रही मर्गिष कुमार
20-9-2012 20/11/12

रही मर्गिष कुमार
20/11/12

यह कि उपरोक्त सम्पत्ति सभी प्रकार के विघ्न, प्रतिबंध, सभी तरह के ऋण भारों, बैंक ऋण, व्यक्ति ऋण, एवं बाधा आदि से पूर्णतया मुक्त एवं साफ है, यह किसी भी प्रकार से न तो विवादित और न ही सरकार द्वारा अर्जित ही है। यह पूर्ण रूप से निर्विवादित है।

यह कि मूल लेख्यकारोगण/बिक्रेतागण को तत्काल मकान बनाने, चन्द लोगों का पारिवारिक बकाया रकम अदा करने वो अन्य आवश्यक पारिवारिक कार्यों की पूर्ति हेतु रूपये की सख्त आवश्यकता है बिना उपरोक्त खाना संख्या-5 की वर्णित सम्पत्ति को बिक्री किए रूपये का प्रबंध इस समय वर्तमान आय से नहीं हो सकता है। इसलिए मूल लेख्यकारीगण/बिक्रेतागण ने अपने-आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु खाने संख्या-5 में वर्णित सम्पत्ति को बिक्रय करने हेतु अपने अधिकृत मोखतार से एलान वो प्रचार करवाए, जिसपर अन्य ग्राहकों के साथ-साथ क्रेतागण खाने संख्या-2 से बातचीत हुई परन्तु क्रेतागण के बराबर अथवा इससे अधिक मूल्य किसी अन्य ग्राहकों के द्वारा नहीं देने पर बिक्रेता अपने तन मन की स्वस्थ अवस्था तथा पूर्ण मानसिक संतुलन में हटकर वो रहकर बिना किसी दबाव, धमकाने, लोग को प्रलोभन के अपने सम्पूर्ण लाभ हानि को बखूबी समझ बूझकर अपने स्वेच्छा वो अपनी पूर्ण खुशी एवं ख्वाहिस से इस निर्विवाद बिक्रय-पत्र की असर को समझते हुए वो मूल लेख्यकारीगण/बिक्रेतागण, अपने हितैषी तथा अन्य परिवार वालों तथा कानूनी सलाहकारों से राय मशवरा लेकर खाना संख्या-5 में वर्णित सम्पत्ति को वर्तमान वो प्रचलित उचित बाजार मूल्य ₹25,60,000/- (पच्चीस लाख साठ हजार रूपये) मात्र में क्रेतागण के साथ बिक्रय करने की बातचीत पक्की की। जिसको बिक्रेता वो क्रेतागण ने सहर्ष स्वीकार किया।


यह कि खाना संख्या-5 में वर्णित सम्पत्ति सभी प्रकार के विघ्न, प्रतिबंध, भार एवं बाधा आदि से पूर्णतया मुक्त एवं साफ है वो बिक्रेता ने क्रेतागण से उपरोक्त खाना संख्या-5 में वर्णित सम्पत्ति बेचा, एकरा स्वीकार किया एवं निर्विवाद बिक्रय किया।

मरीच 20/11/12
20/11/12

20/11/12

20/11/12

20/11/12



For Raunak Vastu
R. C. Chaudh
Director

और कुल वो पूरा कीमत इस वसीका के निष्पादन के पूर्व मूल लेख्यकारिणी/बिक्रेता अपने अधिकृत मोखतार के द्वारा क्रेतागण से वसूल पा चुके हैं, और अब मूल लेख्यकारीगण/बिक्रेतागण का क्रेतागण के यहाँ खाना संख्या-5 में वर्णित सम्पत्ति से संबंधित मूल्य का कुछ भी बकाया नहीं रहा वो न भविष्य में होगा, इसप्रकार खाना संख्या-5 में वर्णित सम्पत्ति पर जो क्रेता भी हक वो अधिकार एवं दखल-कब्जा मूल लेख्यकारीगण/बिक्रेतागण वो इनके उत्तराधिकारीगण को हासिल था वो भविष्य में हासिल होता रहता, वह सम्पूर्ण हक, स्वामित्व, अधिकार एवं दखल कब्जा आज की निष्पादित तिथि से इस बिक्रय-पत्र के माध्यम से खाना संख्या-5 में वर्णित सम्पत्ति के बदले मूल लेख्यकारीगण/बिक्रेतागण द्वारा क्रेतागण से कुल वो पूरा कीमत ₹25,60,000/- (पच्चीस लाख साठ हजार रुपये) मात्र प्राप्त करने के बाद कुल मूल्य के बदले खाना संख्या-5 में वर्णित सम्पत्ति क्रेतागण एवं इनके उत्तराधिकारीगण को मूल लेख्यकारीगण/बिक्रेतागण से हमेशा के लिए हासिल हुआ वो भविष्य में हमेशा के लिए हासिल होता रहेगा।

यह कि खाना संख्या-5 में वर्णित सम्पत्ति को बिक्रेता गे धारण एवं भोग करने के सभी अधिकारों का त्याग क्रेतागण के पक्ष में करते हुए खाना संख्या-5 में वर्णित सम्पत्ति क्रेतागण को हमेशा के लिए सौंप दिए तथा दखल-कब्जा दे दिए वो हमेशा के लिए खाना संख्या-5 में वर्णित सम्पत्ति का मालिक मुस्तकिल बनाए। अब क्रेतागण बिना प्रतिबंध, विघ्न, भार एवं बाधा रहित सम्पत्ति का पूर्ण उपयोग वो उपभोग भू-स्वामी के रूप में स्वेच्छानुसार निर्माण करें या बिक्रय, दान, वसीयत, गिरवी या किसी प्रकार का हस्तान्तरण पत्र इत्यादि करेंगे या जिस तरह से चाहें अपने उपयोग वो उपभोग में लावें या जो चाहें सौंप करें। अब बिक्रेता द्वारा इस निर्विवाद बिक्रय-पत्र को निष्पादन कर देने के पश्चात् मूल लेख्यकारीगण /बिक्रेतागण तथा इनके उत्तराधिकारीगण को किसी प्रकार का हक, स्वामित्व, अधिकार एवं दखल-कब्जा वो किसी प्रकार का आपत्ति खाना संख्या-5 में वर्णित सम्पत्ति पर न रहे वो न भविष्य में होगा।


मूल लेख्यकारीगण
20/1/12

बिक्रेतागण

20-9-2012

बिक्रेतागण
20.1.12

क्रेतागण
20/1/12




For Raunak Vastu.
R.K. Chaudhary
Director

यह कि मूल लेख्यकारीगण/बिक्रेतागण खाना संख्या-5 में वर्णित सम्पत्ति को क्रेतागण द्वारा धारण या उपयोग करने के सम्बन्ध में भविष्य में समय-समय पर किये जाने वाले सभी प्रकार के कार्यों का दायित्व क्रेतागण को हस्तान्तरित करते हैं।

यह कि खाना संख्या-5 में वर्णित सम्पत्ति पर क्रेतागण को सम्पूर्ण हक, स्वामित्व एवं अधिकार प्राप्त है, क्रेतागण उपरोक्त खाना संख्या-5 की वर्णित सम्पत्ति पर काबिज दाखिल को मालिक मुस्तकिल होकर वो रहकर इस निर्विवाद बिक्रय-पत्र के माध्यम से क्रेतागण अपना नाम मूल लेख्यकारीगण/बिक्रेतागण / मूल लेख्यकारीगण/बिक्रेतागण के पूर्वजों के नाम के स्थान पर जहाँ-जहाँ वो जिस-जिस महकमे में जरूरत वो अनिवार्य समझें दर्ज करा लेंगे इसमें मूल लेख्यकारीगण/बिक्रेतागण एवं इनके उत्तराधिकारीगण तथा अन्य किसी को कोई आपत्ति न है वो न होगा।

यह कि यदि कोई व्यक्ति मूल लेख्यकारीगण/बिक्रेतागण, लेख्यकारी बहैसियत मोखतार या अन्य के माध्यम से खाना संख्या-5 में वर्णित सम्पत्ति के बिषय में किसी प्रकार के अधिकार, उन्मुक्ति या विशेषाधिकार का दावा करता है, तो वह दावा इस बिक्रय-पत्र के आधार पर अवैधानिक, शून्य, गलत, अमान्य वो गैरकानूनी समझा जायेगा और किसी अदालत में सुनवाई के लायक नहीं रहेगा।

यह कि इस बिक्रय-पत्र के पंजीकरण के पश्चात् किसी प्रकार की देयता बिक्रय तिथि के पूर्व खाना संख्या-5 में वर्णित सम्पत्ति पर निकलती है अथवा किसी व्यक्ति, संस्था अथवा शासन द्वारा किसी प्रकार का शुल्क, टैक्स, लगान, किराया या अन्य देय उस अवधि के माँगे जाते हैं, तब मूल लेख्यकारीगण/बिक्रेतागण उक्त राशि को स्वयं जमा करेगा। ऐसा नहीं करने पर क्रेतागण उक्त राशि को मूल लेख्यकारीगण/बिक्रेतागण या उनके उत्तराधिकारीगण अथवा उनके चले-वाले अचल सम्पत्ति से वसूल कर लेंगे।



For Raunak Vatika Pvt. Ltd.
R.K. Chaudhary
Director


सर्व सम्पत्तियों पर मूल लेख्यकारीगण
20-1-12
20-1-12
20-1-12

20-1-12

यह कि किसी कारण यह बिक्रय-पत्र सक्षम पदाधिकारी, फारम न्यायालय अथवा अन्य द्वारा निरस्त अथवा शून्य घोषित कर दिया जाता है तब क्रेतागण, मूल लेख्यकारीगण/बिक्रेतागण से प्रतिफल की कुल राशि सूद समेत तथा अन्य प्रकार की क्षतियों की राशि वसूल करने के लिए कानूनी रूप से अधिकारी होंगे।

यह कि लेख्यकारी / बिक्रेता ने क्रेतागण को पूर्ण विश्वास वो भरोसा दिलाए हैं कि खाना संख्या-5 में वर्णित सम्पत्ति हर तरह के नुकस हकियत वो सभी तरह के ऋण भारों, बैंक ऋण, व्यक्ति ऋण वो अन्य तरह के वाद-विवाद से बिल्कुल मुक्त एवं पाक साफ है वो सम्पत्ति पटना क्षेत्रीय विकास प्राधिकार, पटना नगर निगम, भूमि हदबन्दी कार्यालय, सम्पत्ति अधिग्रहण अटैचमेन्ट सम्बन्धित अध्यादेश/सूचना एवं किसी तरह का निषेधाज्ञा, किसी तरह के सरकारी - गैरसरकारी सरथाओं, सरकारी - गैरसरकारी वित्तीय संस्थाओं या न्यायालय के द्वारा उक्त सम्पत्ति के अंश या पूर्ण भाग के निश्चय किसी तरह की अधिसूचना प्रेषित नहीं की गयी है तथा मूल लेख्यकारीगण/बिक्रेतागण उक्त सम्पत्ति से संबंधित कोई अन्य दस्तावेज किसी अन्य व्यक्ति के नाम से नहीं लिखे है वो न किए है और न ही भविष्य में करेंगे, अगर क्रेतागण और इनके उत्तराधिकारीगण उक्त या अन्य वजह से खाना संख्या-5 में वर्णित सम्पत्ति के अंश भाग या कुल भू-भाग से बेदखल हो जायें या कर दिये जायें या किसी तरह का ऋण अदाय करना पड़े तो वैसी सूरत में क्रेतागण और इनके उत्तराधिकारीगण को पूर्ण अधिकार होगा की अपनी क्षति की पूर्ति मय हर्जा खर्चा वो सूद समेत मूल लेख्यकारीगण/बिक्रेतागण या इनके उत्तराधिकारीगण के चल-अचल सम्पत्ति से बअदालत कानूनी कारवाई करके वसूल कर लेंगे।

20.9.2012
20/11/12
20-1-12
R. K. Chaudhary
Director




For Raunak Vastu
R. K. Chaudhary
Director

Map Not in Scale

विक्रेतागण :- जिसका पूर्ण विवरण खाने संख्या - 1 में वर्णित है।

क्रेतागण:- जिसका पूर्ण विवरण खाने संख्या - 2 में वर्णित है।

विक्रेता द्वारा क्रेतागण को विक्रय की जा रही सम्पत्ति का पूर्ण विवरण :-
क्षेत्रफल 32 डिसमिल (बत्तीस डिसमिल) एराजी आवासीय परती हक्करयती
कायमी नकदी भूमि अवस्थित मौजा - जमसौत परगना - फूलवासी रसीद
गाना - दानापुर, अवर निबंधन कार्यालय - दानापुर जिला मिर्जापुर कार्यालय
को जिला - पटना (बिहार); जिसका थाना संख्या - 30 (तास) फंडमूल्य
सर्वे खसरा संख्या - 2094 (दो हजार चौरानवे) खाता सं० - 180 एक सौ
अरसी), तौजी - 5456 (पाँच हजार चार सौ छप्पन)।



- (I) Anju Verma 28.1.12
- (II) Sumrah Lal. 28/1/12
- (III) Pameela 28/1/12
- (IV) Rashmi Ratan 28/1/12
- (V) Pradip Kumar 28/1/12
- (VI) Veena Kumari 28/1/12
- (VII) Usha Devi 28/1/12

शिकला गोपाल
20-1-12

विक्रेतागण का हस्ताक्षर

20-9-2012
20/1/12
मनीष कुमार

क्रेतागण का हस्ताक्षर

For Raunak Vatika P.W. Ltd.
R.K. Chaudhary
Director

Endorsement of Certificate of Admissibility

Admissible under Rule 5 : duly stamped (or exempted from or does not require stamp duty) under the Indian Stamp Act, 1899, Schedule I or I-A, No. 23. Also admissible under section 26(a) of the B. T. Act.

The Document is kept pending for Visit

| | | | | | | | | | | | | | |
|----------|--------------------------------------------------------------|-------|--------|----------------------------------|----------------|-----|-----|---|----|----|----------|-------|------------------------------|
| | Stamp duty paid under Indian Stamp Act | Rs. | 153600 | Amt. paid by N.J. Stamp Paper - | Rs. 5000 | | | | | | | | |
| | Addl. Stamp duty paid under Municipal Act | Rs. | 51200 | Amt. paid through Bank Challan - | Rs. 252304 | | | | | | | | |
| | Registration Fee | | | LLR + Process Fee | Service Charge | | | | | | | | |
| FEE PAID | A1 | 51200 | C | 0 | H1b | 0 | Ka1 | 0 | Li | 0 | LLR | 500 | |
| | A8 | 0 | D | 0 | H2 | 0 | K1b | 0 | Li | 0 | Proc Fee | 50 | 525 |
| | A9 | 0 | DD | 0 | I | 150 | K1c | 0 | Mb | 25 | Total | 550 | |
| | A10 | 0 | E | 0 | J1 | 0 | K2 | 0 | Na | 54 | | | |
| | B | 0 | H1a | 0 | J2 | 0 | Li | 0 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | TOTAL- | 51429 | |
| | Total amount paid (Reg. fee+LLR, Proc+Service Charge) in Rs. | | | | | | | | | | 52504 | | Registering Officer Patna |
| | Date : 23/01/2012 | | | | | | | | | | | | |

Endorsement under section 52

Presented for registration at Registration Office, Patna on Monday, 23rd January 2012 by Shibli Nomani (Agent) S/O-Late Abdul Sattar by profession Others Status - Executant

Signature / L.T.I. of Presentant

Date : 23/01/2012


Registering Officer
Patna

Endorsement under section 58

Execution is admitted by those executants and identified by the person (identified by Ved Prakash Yadav age Sex M son/daughter of S/O-Late Anandi Pd. Yadav resident of Khagariya.) whose names, photographs, fingerprints and signatures are affixed as such on back page / pages of the instrument.

Date : 23/01/2012

Registering Officer
Patna



Registering Officer
Patna

Token No.1888

Year - 2012 SI.No. 1876

Deed No.

NIC-Bihar

For Raunak Vatika Pvt. Ltd. ESCORE Ver. 2.1
R.K. Chaudh
Director

Sch. XIV.—F.No. 180 V.

रसीद मालगुजारी

नाम सर्कल / नाम मौजा मय

थाना वों थाना नम्बर



बि०स०मु०, पटना।

फरद मालकी / फरद रैयती।

नाम रैयत मय वल्लिथत जमावन्दी

वों लकुनत। नम्बर।

X
106

44-P
4125

अराजी नगदी 13938-525

अराजी नगदी

अराजी नगदी

जोत का सालाना माल मय

| नदी बाबत 2016-17 | सालाना | तीन वर्ष से | | | | हाल |
|---------------------|--------|-------------|-----------|-----------|-----------|-------|
| | | ज्यादा | उरा वर्ष। | 2रा वर्ष। | 1ला वर्ष। | |
| माल- (नकदी) | 6-50 | | | | 6-50 | 6-50 |
| गुजारी (भावली) | 1-65 | | | | 1-65 | 1-65 |
| सेस | 3-30 | | | | 3-30 | 3-30 |
| *सुद | 3-30 | | | | 3-30 | 3-30 |
| मुतफरकात | 1-40 | | | | 1-40 | 1-40 |
| मीजान | 16-15 | | | | 16-15 | 16-15 |

तफसील अदायकारी।

| अदायकारी बाबत 2016-17 | बकाया | | | | मोतालबा हाल | फाजिल |
|--------------------------|------------------------|-----------|-----------|-----------|----------------|-------|
| | तीन वर्ष से ज्यादा। | उरा वर्ष। | 2रा वर्ष। | 1ला वर्ष। | | |
| माल- (नकदी) | | | | 6-50 | 6-50 | |
| गुजारी (भावली) | | | | 1-65 | 1-65 | |
| सेस | | | | 3-30 | 3-30 | |
| *सुद | | | | 3-30 | 3-30 | |
| मुतफरकात | | | | 1-40 | 1-40 | |
| मीजान अदायकारी | | | | 16-15 | 16-15 | |

(1) मीजान कुल (लफ्जों में)

(2) नाम देहिन्दा

(3) कुल बकाया

दरखत वों तारीख अमला तहसील कुनिन्दा

* खास महाल का बकाया मालगुजारी पर (सेवाय ऐसे बकायों पर जिन पर कि सर्टिफिकेट जारी हो) सूद नहीं लिया जाता है।

180 2017

बि.स.मु. (राजस्व) 1-2011

For Raunak Vatika

R. C. Chaudhary

Director

11-05-17

Authorization No. 2913

आदेश-पत्रक

(देखें अभिलेख हस्तांक 1941 का नियम 129)

तारीख तक

आदेश पत्रक

जिला:- पटना सन्

केश का प्रकार दा0 खा0 वाद सं0 85 सन् 13-14

आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर

आदेश की क्रम सं0 एवं तारीख

आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में दिनांकी तारीख सहित।

8/4/13
 1. जिनगी कुंजुपति पति-संजय कुमार सह 100 बी.रेड रेजि. नं0 133/12 एम.एन.ए. 12/02/12
 2. जिनगी कुंजुपति पति-अशम एम.ए.ए. 13/02/12
 3. डॉ. रमेश कुमार पति-क.क.ए.ए.ए. 13/02/12
 4. जिनगी राधिका पति-क.क.ए.ए.ए. 13/02/12
 5. सुदीप कुमार पति-क.क.ए.ए.ए. 13/02/12
 6. जिनगी प्रीति पति-क.क.ए.ए.ए. 13/02/12
 7. अशम कुमार पति-क.क.ए.ए.ए. 13/02/12
 के आधार पर निम्नांकित जमीन का दाखिल-खारिज हेतु आवेदन पत्र दाखिल किया है।

| सौजा | थाना नं0 | खाता नं0 | खेसरा | एराजी | लगाव |
|------|----------|----------|-------|------------------|------|
| 1 | 30 | 180 | 2094 | 32.33 को.ए.ए. | 1-00 |
| 2 | 30 | 180 | 2094 | 0.051 को.ए.ए. | 0-50 |
| 3 | 30 | 180 | 2094 | 1361.25 को.ए.ए. | 1-00 |
| 4 | 30 | 180 | 2094 | 1361.25 को.ए.ए. | 1-00 |
| 5 | 30 | 180 | 2094 | 3403.125 को.ए.ए. | 1-00 |
| 6 | 30 | 180 | 2094 | 2368.385 को.ए.ए. | 1-00 |
| 7 | 30 | 180 | 2094 | 1361.25 को.ए.ए. | 1-00 |

मूल आवेदन पत्र हल्का कर्मचारी को अंचल निरीक्षक के माध्यम से जाँच प्रतिवेदन हेतु दें, आम महाल पर सूचना जारी कर आपत्ति की मांग करें। अभिलेख दिनांक 23/5/13 को रखें।
 लेखापित एवं संशोधित।

अंचल अधिकारी
 दानापुर

अंचल अधिकारी
 दानापुर

23/5/13

नोटिस का तामिला प्राप्त है। कोई आपत्ति प्राप्त नहीं है। राजस्व कर्मचारी का प्रतिवेदन अंचल निरीक्षक के माध्यम से प्राप्त है। उनलोगो ने आवेदक के नाम दाखिल-खारिज करने की अनुशंसा किये हैं। फलतः उनके अनुशंसा के आधार पर दाखिल-खारिज की जा जाती है। शुद्धि-पत्र निर्गत करें।
 लेखापित एवं संशोधित।

अंचल अधिकारी
 दानापुर

अंचल अधिकारी
 दानापुर

For Raunak Vatika P...
 R.K. Chaudhary
 Director

Sch. XIV.—F.No. 180 V.

रसीद मालगुजारी
नाम सर्कल। नाम मौजा मय
थाना वो थाना नम्बर

V

बि०स०मु०, पटना।
फरद मालकी/फरद रैयती।
नाम रैयत मय वल्लियत जभावन्दी
वो सकुनत। नम्बर।

X
106

W-P
28 73

दागाडर / जमिनी / डि. नम्बर / 00515440

अराजी नगदी अराजी भावली तफसील हिसाब लगान भावली।

1-576 / 199

जोत का सालाना माग मय तफसील (बकाया वो हाल) मौजूदा साल का।

| भाग बाबत | सालाना | बकाया | | | | हाल |
|------------------|--------|------------------------|-----------|-----------|-----------|-------|
| | | तीन वर्ष से ज्यादा। | उरा वर्ष। | 2रा वर्ष। | 1ला वर्ष। | |
| माल- } (नकदी) | 25-85 | | | | | 25-85 |
| गुजारी } (भावली) | 6-50 | | | | | 6-50 |
| सेस | 13-00 | | | | | 13-00 |
| *सुद | 13-00 | | | | | 13-00 |
| मुतफरकात | 5-20 | | | | | 5-20 |
| मीजान | 3-55 | | | | | 63-55 |

तफसील अदायकारी।

| अदायकारी बाबत | बकाया | | | | मोतालबा हाल | फाजिल |
|------------------|------------------------|-----------|-----------|-----------|----------------|-------|
| | तीन वर्ष से ज्यादा। | उरा वर्ष। | 2रा वर्ष। | 1ला वर्ष। | | |
| माल- } (नकदी) | | | | | 25-85 | |
| गुजारी } (भावली) | | | | | 6-50 | |
| सेस | | | | | 13-00 | |
| *सुद | | | | | 13-00 | |
| मुतफरकात | | | | | 5-20 | |
| मीजान अदायकारी | | | | | 63-55 | |

(1) मीजान कुल (लफजों में) — 63-55

(2) नाम देहिन्दा —

(3) कुल बकाया —

दस्खत वो तारीख अमला तहसील कुनिन्दा

खास महाल का बकाया मालगुजारी पर (सेवाय ऐसे बकायों पर जिन पर कि सर्तिफिकेट जारी हो) सूद नहीं लिया जाता है।

बि.स.मु. (राजस्व) 1-2011

For Raunak Vatika Pvt. Ltd.
R.K. Chaudhary
Director

11.05.16

